

समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन

इन्दौर - 452 001

दिनांक 27 SEP 2023

क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2023/1931

प्रति,

प्राचार्य/संचालक,

श्री वैष्णव इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट,
स्कीम नं. 71, गुमास्ता नगर,
इन्दौर (म.प्र.)

विषय: महाविद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों की स्थाई सम्बद्धता प्रदान करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन के संबंध में विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 14/07/2023, विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 02/08/2023 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14/08/2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

क्र.	पाठ्यक्रम	निर्णय
1	बी.एससी. (कम्प्यूटर साइंस अति. विषय के साथ)	स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।
2	बी.सी.ए.	स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।
3	एम.बी.ए. (फूलटाईम)	स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।
4	एम.बी.ए. (एफ.ए.)	स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

शर्त:-

- राज्य शासन एवं ए.आई.सी.टी.ई., नई दिल्ली के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
- विश्वविद्यालय परिनियम क्रं. 27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
- महाविद्यालय प्रतिवर्ष उपरोक्त पाठ्यक्रमों का निर्धारित सम्बद्धता/नवीनीकरण शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करें।
- महाविद्यालय 100/- रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत करे की वह नियामक संस्था (Regulatory Body), राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय के परिनियम 27 एवं 28 के मापदण्डों की पूर्ति करते हैं व भविष्य में भी इसकी पूर्ति करने का अभिवचन देते हैं।

आदेशानुसार

[Signature]
कुलसचिव

दिनांक 27 SEP 2023

पृ.क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2023/1931

प्रतिलिपि :-

- उप-कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन, दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी.ऑनलाईन, दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहा.कुलसचिव(शैक्ष.)